Dr Kumari Manju
M.D.D. ELO
R.N.C.

NITI Aayog

स्वतंत्रता के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ आधार के लिए हमारे देश में समाजवादी शासन की परिकल्पना की अपनाया गया जिसमें पंचवर्षीय योजना तथा एकवर्षीय योजना के तहत देश में काम करती रही। योजना आयोग में नियोजन ईकाई के द्वारा पंचवर्षीय योजना बनाने के सहायता दिया लेकिन केंद्र सरकार के बदलने के बाद 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को खत्म कर दिया गया और इसके स्थान पर केंद्रीय मंत्रीमंडल के एक संकल्प पर नीति आयोग का गठन किया गया। इसमें सहकारी संघवाद की भावना को केंद्र में रखते हुए अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार के दृष्टिकोण को स्थान दिया गया।

हैरानी की बात 65 वर्ष पुराना योजना आयोग की कमांड वाली व्यवस्था तो थी अपनी सरंचनाओं में काम आदतों पाते पाते कुछ कमियों के चलता Effect Economy पर नहीं कर रहा था।

भारत विविधताओं वाला देश है और इसके राज्य आर्थिक विकास के विभिन्न चरणों में है जिनकी अपनी भिन्न-भिन्न ताकतें और कमजोरियां हैं। आर्थिक नियोजन के लिए एक्सी पर एक शीर्ष लागू हो, यह धारणा गलत है। यह आज की बेहतर अर्थव्यवस्था में भारत की प्रतिस्पर्धी के तौर पर स्थापित नहीं कर सकता।

नीति आयोग की संरचना: इस आयोग के ~~अध्यक्ष~~ अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। संचालन परिषद सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं तथा केंद्रशासित प्रदेशों के उपराज्यपाल होते हैं। तथा पदेन सदस्यता अग्रणी अनुसंधान संस्थानों के बारी-बारी से दो पदेन सदस्य होते हैं। पदेन सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम चार सदस्य होते हैं। मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO) भारत सरकार का सचिव रैंक के प्रधानमंत्री द्वारा एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है। विशेषज्ञों पर आमंत्रित के होते हैं जिन्हें प्रधानमंत्री द्वारा चयन किया जाता है। ये विभिन्न लोगों के विशेषज्ञ होते हैं।

नीति आयोग के दो मुख्य केंद्र अथवा हब: (1) टीम इंडिया: यह राज्यों और केंद्र के बीच इंटरफेस का काम करता है। (2) Knowledge and Innovation ज्ञान और नवोन्मेष केंद्र: नीति आयोग थिंक-टैंक के भांति कार्य करता है। (3) नीति आयोग में तीन दीर्घावधि की बातें हैं जिसमें तीन वर्षीय कार्य एजेंडा, 7 वर्षीय मध्यम अवधि के रणनीति का दीर्घावधि और 15 वर्षीय लक्ष्य दीर्घावधि शामिल हैं।

नीति आयोग के उद्देश्य: (1) राज्य को भागीदारी प्रदान करने के लिए तथा संघीय सहकारिता बढ़ाने के लिए राज्यों के निरंतर सहभागिता तंत्र के माध्यम से सहयोग प्रदान करना। (2) ग्रामीण स्तर पर विश्वसनीय योजनाएँ बनाने के लिए तंत्र विकसित करना। (3) राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों में आर्थिक रणनीति और नीतियों, शामिल की गई हैं। (4) समाज के उन वर्गों पर विशेष ध्यान देना जो आर्थिक प्रगति से अपने को लाभान्वित नहीं कर पाए। (5) प्रमुख विशेषज्ञों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक, शैक्षिक और नीति निर्माण संस्थानों के बीच भागीदारी को प्रोत्साहित करना। (6) राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, सिविल सोसाइटी तथा मुख्य हितधारकों के सहयोग से नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा।

Scanned with CamScanner